

**अनुदान संख्या 69 - प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय**  
**GRANT No. 69 – MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original 71,80,00	78,30,00	63,96,33	- 14,33,67
पूरक	Supplementary 6,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			11,00,00
<b>पूंजीगत :</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original 9,20,00	20,20,00	13,52,83	-6,67,17
पूरक	Supplementary 11,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6,50,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹1433.67 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹650.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1433.67 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹650.00 lakhs obtained in March, 2012 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads: -

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services			
मू.	O. 2200.00	2286.00	2183.27	-102.73
पू.	S. 117.00			
पु.	R. -31.00			
मुख्य शीर्ष "2061"	Major Head "2061"			
विदेश मामले	External Affairs			
मू.	O. 4980.00	4444.00	4213.06	-230.94
पू.	S. 533.00			
पु.	R. -1069.00			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय" - ₹1571.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹117.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1688.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹182.87 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, मुद्रक, ट्रांसपोर्टर्स और अधिवक्ताओं से बिल प्राप्त न होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2601" - "अन्य व्यय - अन्य स्कीमें" - ₹4150.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹533.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4683.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1106.05 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) विक्रेताओं से बिल प्राप्त न होने, सहायता अनुदान के कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कार्यकलापों की धीमी प्रगति होने और "भारत को जानें कार्यक्रम" के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2061" - "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें" के अंतर्गत ₹192.96 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹63.43 लाख के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं और यह स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक थीं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹667.17 लाख) नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1100.00 लाख के पूरक अनुदान का 61 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Overseas Indian Affairs" - the original provision of ₹1571.00 lakhs was augmented to ₹1688.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹117.00 lakhs. However, there was a saving of ₹182.87 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of bills from printers, transporters and advocates and less number of tours undertaken.

(B) Major Head "2061" - "Other Expenditure - Other Schemes" - the original provision of ₹4150.00 lakhs was augmented to ₹4683.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹533.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1106.05 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of bills from vendors, receipt of less number of proposals for grants-in-aid, slow pace of activities and requirement of less funds towards "Know India Program".

(II) Under Major Head "2061" - "International Conferences/Meetings - International Conferences/Meetings" - saving of ₹192.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-holding of International conferences.

2. The above savings were partly offset by an excess of ₹63.43 lakhs under one head constituting more than 10 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹667.17 lakhs) constituted 61 percent of the supplementary grant of ₹1100.00 lakhs obtained in November, 2011 and 33 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत -  
Saving -

(हजार रुपयों में)  
(In thousands of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर	Capital Outlay on				
पूँजीगत परिव्यय	Public Works				
मू.	O.	920.00			
पू.	S.	1100.00	1370.00	1352.83	-17.17
पु.	R.	-650.00			

(I) "अन्य भवन - निर्माण - प्रवासी भारतीय केंद्र" के अंतर्गत ₹900.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2000.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो केंद्र के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण ₹661.32 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Other Buildings - Construction - Pravasi Bhartiya Kendra"- the original provision of ₹900.00 lakhs was augmented to ₹2000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹661.32 lakhs - due to slow progress of construction work of Kendra.